

## निरीक्षण रिपोर्ट

(कारखाना अधिनियम, 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 एवं मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत निरीक्षण बिन्दु)

1. निरीक्षण दिनांक :- .....
2. कारखाने का नाम एवं पता :- .....
3. कारखाने का ईमेल आईडी :- .....
4. अधिभोगी का नाम :- .....
5. कारखाना प्रबंधक का नाम :- .....
6. लायसेंस क्रमांक / लायसेंस वर्ष .....
7. श्रमिक संख्या:- नियमित श्रमिक ..... (पुरुष ....., महिला .....)  
टेका श्रमिक ..... (पुरुष ....., महिला .....)  
E.S.I.C. में बीमित श्रमिकों की संख्या : .....  
श्रमिकों की संख्या जो बीमित नहीं है : .....  
श्रमिकों की संख्या जो वेतनसीमा के कारण E.S.I.C. के तहत बीमित होने के पात्र नहीं है : .....
8. स्थापित अश्व शक्ति :- .....
9. विनिर्माण प्रक्रियाएँ :- .....
10. निरीक्षण के दौरान उपस्थित व्यक्ति का नाम एवं पदनाम :- .....
11. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6(1) व 7 सहपठित छ.ग. कारखाना नियम, 1962 के नियम 3-A के अनुपालन के संबंध में कारखाना भवन के नक्शों के अनुमोदन की स्थिति –  
(i) नक्शा अनुमोदन क्रमांक एवं दिनांक : .....

(ii) अनुमोदित नक्शे के अलावा क्या कारखाने में कोई विस्तार किया गया है? .....

(iii) कारखाने के विस्तारित क्षेत्र के नक्शों के अनुमोदित होने की स्थिति (अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करें) : .....

12. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 112 के अंतर्गत निर्मित नियम 124-A के प्रावधानानुसार जोखिमपूर्ण पदार्थों की हैण्डलिंग के सुपरविजन के लिए योग्यताधारी सुपरवाइजर्स के नियुक्ति की स्थिति (सुपरवाइजर का नाम, पदनाम एवं शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें)

.....  
.....

13. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7A एवं 7B प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित नियम 124-B के प्रावधानानुसार जोखिमपूर्ण कारखानों में स्थित अनुसार रसायन एवं टॉक्सिक सब्स्टेंसेस (toxic substances) के मॉनीटरिंग सुविधा की स्थिति (संक्षिप्त विवरण दे) –

.....  
.....

14. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7A(2)(c) के प्रावधानानुसार कारखाने में कार्यरत श्रमिकों को प्रशिक्षित करने, आवश्यक जानकारी देने एवं उनके कार्य के परिवेक्षण की व्यवस्था की स्थिति (संक्षिप्त विवरण दे) –

(नोट :- इस संबंध में आवश्यकतानुसार कुछ श्रमिकों का बयान दर्ज करें।)

.....  
.....

15. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 19(3) सहपठित नियम 46 से 55 के प्रावधानानुसार कारखाने में कार्यरत महिला एवं पुरुषों की संख्या के लिए शौचालय एवं मूत्रालय की स्थिति (महिलाओं एवं पुरुषों के लिए उपलब्ध शौचालय एवं मूत्रालय की संख्या एवं उनकी साफ सफाई की स्थिति का उल्लेख करें) –

.....  
.....

16. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 21 के प्रावधानानुसार कारखाने में स्थापित विभिन्न मशीनों की ट्रांसमिशन मशीनरी में सुरक्षा आवरण/फेन्सिंग की स्थिति (संक्षिप्त विवरण दे) (नोट – जिन मशीनों की ट्रांसमशीनरी के ऊपर सुरक्षा आवरण/फेंसिंग नहीं है उसका उल्लेख करें) –

.....  
.....

17. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 28 सहपठित नियम 61 के प्रावधानानुसार कारखानों में स्थापित हॉईस्ट (Hoists) एवं लिफ्ट को सुरक्षात्मक उपयोग कर सकने हेतु गुणवत्ता की स्थिति एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति से परीक्षण कराये जाने एवं इस संबंध में निर्धारित पंजी संधारित करने की स्थिति (परीक्षण तिथि एवं परीक्षण करने वाले सक्षम व्यक्ति का नाम उल्लेखित करें) –

.....  
.....

18. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 29 सहपठित नियम 62 एवं 63 के प्रावधानानुसार लिफ्टिंग मशीन्स, चैन्स, रोप्स, एवं लिफ्टिंग टैकल्स के सुरक्षात्मक उपयोग कर सकने हेतु सुरक्षा व्यवस्था तथा इनके भारवहन करने की क्षमता एवं गुणवत्ता की स्थिति एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति से परीक्षण कराये जाने एवं इस संबंध में निर्धारित पंजी संधारित करने की स्थिति (परीक्षण तिथि एवं परीक्षण करने वाले सक्षम व्यक्ति का नाम उल्लेखित करें) –

.....  
.....

19. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 29(2) सहपठित नियम 66–A के प्रावधानानुसार कारखाने में क्रेन, लोकोमोटिव (locomotive) अथवा फोर्कलिफ्टट्रक (Forklift Truck) चलाने वाले ऑपरेटर्स की आंखों की जांच नेत्र विशेषज्ञ से कराये जाने एवं परीक्षण रिपोर्ट फार्म नं.–35 में संधारित किये जाने की स्थिति (संक्षिप्त विवरण दे) –

.....  
.....

20. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 31 सहपठित नियम 67 के प्रावधानानुसार कारखाने में स्थापित प्रेशर वेसल्स, वॉटर शील्ड, गैस होल्डर की स्थिति एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति से नियमानुसार निर्धारित समयावधि में परीक्षण कराये जाने की स्थिति (परीक्षण तिथि एवं परीक्षण करने वाले सक्षम व्यक्ति का नाम उल्लेखित करें) –

.....  
.....

21. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 32 के प्रावधानानुसार कारखाने में स्थापित उंचाई के कार्यस्थल एवं ऊंचाई के कार्यस्थल में पहुंचने के लिए लगाई गई सीढ़ियों की स्थिति एवं प्लेटफार्म में बैरिकेटिंग/फैंसिंग लगाये जाने तथा सीढ़ियों में हैण्ड रेलिंग लगाये जाने की स्थिति (संक्षिप्त विवरण दे) –

.....  
.....

22. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 33 के प्रावधानानुसार कारखाने में स्थापित वेसल्ल (vessels), सम्प्स (sump), tank, pit अथवा जमीन सतह एवं फ्लोर में खुली जगहें जो इनकी स्थिति एवं गहराई से खतरनाक स्थिति में है उनके ऊपर लगाये गये ढक्कन अथवा फैंसिंग की स्थिति (संक्षिप्त विवरण दे) –

.....  
.....

23. कारखान अधिनियम, 1948 की धारा 35 सहपठित नियम 69 के प्रावधानानुसार श्रमिकों की आंखों की सुरक्षा हेतु अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित प्रक्रियाओं के संबंध में प्रभावी स्क्रीन अथवा उपयुक्त सुरक्षा चश्मा उपलब्ध कराये जाने की स्थिति (संक्षिप्त विवरण दे) –

.....  
.....

24. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 36(1) के प्रावधानानुसार कारखाने में किसी चैंबर, टैंक, वैट, पिट, पाइप, अथवा संकीर्ण कार्यक्षेत्र जिसमें कि जोखिम पूर्ण गैस, फ्यूम अथवा धूल हो सकती है, उसमें प्रवेश करने हेतु उपयुक्त आकार के मेनहोल (manhole) की व्यवस्था अथवा प्रभावी साधन की स्थिति एवं कारखाना अधिनियम की धारा 36(2) के प्रावधानानुसार उपरोक्त संकीर्ण कार्यक्षेत्र में कार्य करने हेतु किसी भी जोखिम पूर्ण गैस, फ्यूम, वेपर अथवा धूल नहीं है, जांच कर सक्षम व्यक्ति के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्थिति एवं उक्त कार्यक्षेत्र में श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे— ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, सुरक्षा बेल्ट आदि की स्थिति (संक्षिप्त विवरण दे) –

.....  
.....

25. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 36(6) सहपठित नियम 70 के प्रावधानानुसार संकीर्ण क्षेत्र (confined space) में प्रवेश करने हेतु मेनहोल (manhole) का आकार निर्धारित मानक के अनुसार है अथवा नहीं विवरण दे –

.....  
.....

26. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 37 के प्रावधानानुसार कारखानों में की जा रही विनिर्माण प्रक्रियाओं में ऐसी प्रक्रियाएं जिनसे विस्फोट होने की संभावना होती है, वहां से ऐसी समस्त डस्ट, गैस, फ्यूम अथवा वैपर के निष्कासन एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की स्थिति (विभाग का नाम एवं इसमें उपलब्ध सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण उल्लेख करें) –

.....  
.....

27. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 38 सहपठित नियम 72 के प्रावधानानुसार आवश्यक अग्नि व्यवस्थाओं के संदर्भ में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था की स्थिति –
- (i) कारखाने की श्रेणी के अनुसार आवश्यक अग्निशमन व्यवस्था का विवरण :
- .....
- .....
- (ii) कारखाने में उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों का विवरण :
- .....
- .....
28. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 39, धारा 40 एवं धारा 40–A के प्रावधानानुसार कारखाने का भवन, प्लांट मशीनरी एवं रास्तों की स्थिति यदि निरीक्षण के दौरान खतरनाक स्थिति/दुर्घटना संभावित स्थिति में देखी गयी हो तथा इस संबंध में कोई निर्देश/आदेश जारी किये जाने की स्थिति पायी गयी हो उसका संक्षिप्त विवरण दे –
- .....
- .....
29. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40–B सहपठित नियम 72–A के प्रावधानानुसार योग्यताधारी सुरक्षा अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति (सुरक्षा अधिकारी का नाम, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव का उल्लेख करें) –
- .....
- .....
30. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41 सहपठित नियम 73(1) एवं 73(2) के प्रावधानानुसार कारखाने में कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण जैसे– टाइट फीटिंग क्लॉथ (Tight fitting clothes), फुटवियर (Foot-wears), ग्लोव्स (Gloves), गॉगल्स (Goggles), लाईफ बेल्ट्स (life belts), स्कैफोल्डिंग (scaffoldings), नॉन स्कीड लैडर्स (non skid ladders), रेस्पिरेटर्स गैस मास्क (respirators gas mask) आदि उपलब्ध कराने एवं ISI मानक के ही सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाने की स्थिति (संक्षिप्त विवरण दे)

.....  
.....

31. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41-B के प्रावधानानुसार मुख्य कारखाना निरीक्षक के अनुमोदन से ऑनसाईट इमरजेंसी प्लान बनाये जाने एवं ऑनसाईट इमरजेंसी प्लान में उल्लेखानुसार आपातकालिन व्यवस्थाओं एवं क्रियान्वयन की स्थिति (ऑनसाईट इमरजेंसी प्लान में उल्लेखित व्यवस्थाओं का सत्यापन कर कमियाँ पायी जाने पर उल्लेख करे, ऑनसाईट इमरजेंसी प्लान के मॉकड्रील की तिथियों का भी उल्लेख करें) –

.....  
.....

32. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41-C सहपठित नियम 131(2) के प्रावधानानुसार श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट फार्म नं.-21 में संघारित किये जाने की स्थिति –

(i) चिकित्सा अधिकारी का नाम जिनके द्वारा श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया :

.....

(ii) श्रमिकों की संख्या जिनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है : .....

(iii) स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शेष श्रमिकों की संख्या : .....

(iv) स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट फ़ैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर अथवा सर्टिफाईंग सर्जन के हस्ताक्षर है अथवा नहीं : .....

(v) श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण ठीक ढंग से हुआ है अथवा नहीं इस हेतु कुछ श्रमिकों के बयान संयोगिक (Randomly) रूप से दर्ज किया है अथवा नहीं .....

(vi) स्वास्थ्य परीक्षण में किसी श्रमिक को व्यवसायजन्य रोग (Occupational disease) बिमारी हुई है अथवा नहीं (निरीक्षण के दौरान फ़ैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर से लिखित में जानकारी प्राप्त करे) .....

(vii) निरीक्षण के दौरान यदि किसी श्रमिक का स्वास्थ्य परीक्षण सर्टिफाईंग सर्जन से कराये जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं : .....

(श्रमिक का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता होने पर कारखाना प्रबंधन को लिखित में आदेश जारी कर सर्टिफाईंग सर्जन से कराये जाने हेतु निर्देशित करें)

33. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41-F के अंतर्गत अनुसूचित की गई अनुसूची-2 के मानक के अनुसार कारखाने के कार्यक्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाली धूल, प्रोसेस से निकलने वाली गैस एवं फ्यूम की मात्रा सुरक्षित सीमा में है अथवा नहीं (विभाग का नाम जहां धारा 41-F की अनुसूची-2 में उल्लेखित गैस, फ्यूम, धूल आदि की कार्यवातावरण में उपलब्धता है, निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित करें) –

(i) कारखाने के ऐसे क्षेत्र जहाँ जोखिमपूर्ण रसायन अथवा धूल का उत्सर्जन होता है वहाँ कार्यरत श्रमिकों को Hepa Mask उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा नहीं संक्षिप्त विवरण दे –

.....  
.....

34. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41-G के सहपठित नियम 73-I के प्रावधानानुसार सुरक्षा समिति गठित होने एवं नियमानुसार सुरक्षा समिति की बैठके आयोजित होने की स्थिति (सुरक्षा समिति गठित होने की तिथि, सदस्यों की संख्या, पिछली दो बैठकों की तिथि एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण उल्लेखित करें। इस संबंध में सेफ्टी कमेटी के सदस्यों से चर्चा कर उनके योगदान/किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करें) –

.....  
.....

35. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 46 सहपठित नियम 72 से 82 एवं धारा 47 सहपठित नियम 83 के प्रावधानानुसार कैंटीन अथवा शेल्टर (shelter), रेस्ट रूम एवं लंच रूम की स्थिति (संक्षिप्त विवरण दे) –

.....  
.....

36. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 59 के प्रावधानानुसार कारखाने में श्रमिकों के ओवर-टाईम में कार्य करने की स्थिति एवं छ.ग. कारखाना नियम 1962 के नियम 94(2) के अनुसार ओवर-टाईम में नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों को फार्म नं.-12 में

ओवर-टाईम स्लीप संबंधित श्रमिकों को उपलब्ध कराये जाने की स्थिति (इस संबंध में कुछ श्रमिकों के बयान दर्ज करें) –

.....  
.....

37. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 61(8) सहपठित नियम 95 के प्रावधानानुसार श्रमिकों के कार्य करने के घंटों की सूचना फार्म नं.-13 में प्रदर्शित किया गया है अथवा नहीं (जहां प्रदर्शित है उस स्थान का नाम उल्लेखित करें) –

.....  
.....

38. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 62(2) सहपठित नियम 96 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रपत्र में कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की हाजिरी पंजी/मस्टर रोल के संधारण की स्थिति एवं कारखाना अधिनियम की धारा 83 सहपठित नियम 102 के प्रावधानानुसार कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के संबंध में संधारित संवैतनिक अवकाश पंजी फार्म नं.-18 में संधारित करना तथा श्रमिकों को नियम 103 के प्रावधानानुसार लीव (Leave) कार्ड फार्म नं.-19 में उपलब्ध कराये जाने की स्थिति (इस संबंध में कुछ श्रमिकों के बयान दर्ज करें) –

.....  
.....

39. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 87 सहपठित नियम 107 के अंतर्गत निर्मित अनुसूची के अनुसार क्या कारखाने में कोई खतरनाक प्रक्रिया की जा रही है, यदि हां तब उक्त खतरनाक प्रक्रिया से संबंधित अनुसूची के नियमों के अनुसार विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति –

(i) खतरनाक प्रक्रिया का नाम : .....

(ii) कारखाने में प्रभावशील अनुसूची का नाम : .....

(iii) अनुसूची के अनुसार पालन की स्थिति : .....

.....

40. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 112 के अंतर्गत निर्मित नियम 131-A के प्रावधानानुसार कारखाने में नियोजित श्रमिकों की संख्या के अनुसार व्यवसायजन्य स्वास्थ्य केन्द्र (OHC) की स्थापना की स्थिति एवं इसमें नियुक्त चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा सहायक कर्मचारियों (पैरामेडिकल स्टाप) की नियुक्ति की स्थिति –

- (i) OHC का निर्माण क्षेत्र एवं कमरों की संख्या : .....
- (ii) OHC में नियुक्त चिकित्सक का नाम, पदनाम एवं नियोजन का प्रकृति (पूर्णकालिक/अंशकालिक) : .....
- (iii) OHC में नियुक्त चिकित्सक की शैक्षणिक योग्यता : .....
- (iv) OHC में नियुक्त पैरामेडिकल स्टाप की संख्या : .....

.....

41. कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के संबंध में वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानानुसार संधारित पंजी एवं नियमानुसार निर्धारित तिथि में वेतन भुगतान की स्थिति (संक्षिप्त विवरण दे) –

.....  
.....

42. मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 एवं मातृत्व हितलाभ (संधोशित) अधिनियम 2017 के प्रावधानानुसार कारखाने में नियुक्त महिला श्रमिकों के संबंध में संधारित पंजीयों की स्थिति एवं पात्र महिला श्रमिकों को नियमानुसार लाभ प्रदाय किये जाने की स्थिति (संक्षिप्त विवरण दे) –

.....  
.....

43. कारखाना अधिनियम, 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 एवं मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार निर्धारित समयवधि में वार्षिक रिटर्न भेजे जाने की स्थिति (इस संबंध में एकीकृत वार्षिक रिटर्न पोर्टल में अपलोड किये जाने की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त विवरण दे) –

- .....
- .....
44. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 112 सहपठित नियम 116 के प्रावधानानुसार कारखाने से संबंधित जानकारी साईन बोर्ड में प्रदर्शित किये जाने, छ.ग. कारखाना नियम 1962 के नियम 119 के प्रावधानानुसार कारखाने में घटित दुर्घटनाएं एवं खतरनाक घटनाओं के संबंध में फार्म नं.-31 में पंजी संधारित किये जाने की स्थिति (संक्षिप्त विवरण दे)
- .....
- .....

निरीक्षण के दौरान उपस्थित  
व्यक्ति/पदाधिकारी के हस्ताक्षर

नाम - .....

पदनाम - .....

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम - .....

पदनाम - .....